न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 18.10.2022

अपील संख्या 2022/187

उनवान

1. देवलाल, आयु 61 वर्ष पुत्र पन्नालाल जी, जाति मोग्या, निवासी बरावदा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राज0)
2. मन्नालाल, आयु 41 वर्ष पुत्र गेन्दिया, जाति मोग्या, निवासी बरावदा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राज0)
3. प्रेमबाई पत्नी स्वर्गीय हीरालाल जी, जाति मोग्या, निवासी बरावदा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. तेजकरण पुत्र गजानन्द, जाति बैरागी, निवासी बरावदा हाल मुकाम कोटा, जिला कोटा (राज0)
2. पप्पूलाल आयु 27 वर्ष पुत्र देवलाल जी, जाति मोग्या, निवासी बरावदा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राज0)
3. छीतरलाल आयु 46 वर्ष पुत्र गेन्दिया, जाति मोग्या, निवासी बरावदा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री महेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक : 22.10.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद के प्रकरण संख्या 126/2016/दावा निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि आराजी खसरा नं. 463/101 रकबा 10 बीघा मौजा बरावदा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान में वाके है जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 56 सम्वत 2071 ता 2074 से वादी के खातेदारी में चली आ रही है जिस पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा था। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2018 से वादी का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्य प्रमाण और विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों पर ध्यान दिये बिना जो प्रकरण निस्तारण किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की तनकी नं. 3, 4, 5 का विवेचन किये बिना जो निर्णय पारित किया है वह अवैध और अमान्य है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तारीख पेशी दिनांक 18.01.2018 को प्रतिवादी देवलाल, रामलाल, हीरालाल का शपथ पत्र पेश हुआ और वास्तु जिरह आगामी पेशी दिनांक 28.02.2018 नियत की गई। दिनांक 28.02.2018 को पत्रावली सुनवाई के लिये नहीं रखी न ही प्रतिवादीगण के गवाहान से जिरह की गई। पत्रावली दिनांक 18.01.2018 के बाद एक दिनांक 19.04.2018 लोक अदालत केम्प अजनावर में रखी गई और दिनांक 07.06.2018 को रखकर निर्णय पारित कर दिया जो कानून सम्मत नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। इस तारीख पेशी की जानकारी अपीलांट को नहीं दी गई। मौका रिपोर्ट ग्राम बरावदा दिनांक 28.12.2017 हमराह पटवारी हल्का अजनावर के साथ ग्राम बरावदा पहुंचा। राजस्व रिकार्ड के अनुसार मूल खाता सं. 101 कुल रकबा 58 बीघा 7 बिस्वा है जिसमें क्रमांक 61 पर अपीलांट का उक्त खसरा नं. 101 की 10 बीघा भूमि आवंटित हो चुकी है। बाकी सभी खसरा नम्बर मिन में तब्दील हो चुके हैं। उक्त प्रकरण में मुख्य मुद्दा मुस्तकिल बिन्दु से सारी जमीन की पैमाईश हो तभी सही स्थिति आ सकती है इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं देकर कानूनी त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो कियात्मक आदेश/दिनांक 07.06.2018 को दिये गये हैं वह पैमाईश से संबंधित है और पैमाईश मुस्तकिल बिन्दु से की जाती है लेकिन उक्त प्रकरण में दिनांक 22.10.2018 को पुलिस बल व राजस्व टीम द्वारा जो पैमाईश की गई वह त्रुटिपूर्ण है और इस पर प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं और उक्त पैमाईश में एक और बात लिखी गई कि ग्रामवासियों के हस्ताक्षर करवाये गये वह भी बिल्कुल गलत है। ग्रामवासियों ने उक्त पैमाईश को अवैध माना और प्रतिवादी अपीलांट से जबरन हस्ताक्षर करवाने की कोशिश की गई है।

दिनांक 28.12.2017 क रिपोर्ट पेज नं. 2 पर ग्रामवासियों द्वारा बताये अनुसार उक्त भूमि पर वादी (रेस्पोडेंट) का कब्जा नहीं है। यदि रेस्पोडेंट द्वारा वाद 183 का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया है लेकिन निर्णय धारा 188 आर.टी.एक्ट का दिया गया है जो विधि पूर्ण नहीं होने से अवैध और अमान्य है। खसरा नं. 101 जमाबंदी सं. 61 की 10 बीघा जमीन देवलाल, हीरालाल के खाते और कब्जे में चली आ रही है। खसरा गिरदावरी में उसमें 8 बीघा 11 बिस्वा में सरसों और 1 बीघा 9 बिस्वा में मक्का की फसल खड़ी हुई है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2072 में इसका वर्णन है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2018 निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 08.08.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

(पंडित रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता एवं धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि वादी द्वारा धारा 183 आर.टी.ए. का वाद पेश किया। यह मेन्टेनेबल नहीं है। वादी का उक्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नं. 3, 4, 5 का विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया वह अवैध व अमान्य है। उक्त प्रकरण में लीगल प्वाइन्ट यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तारीख पेशी 18.01. 2018 को प्रतिवादी देवलाल, रामलाल, हीरालाल का शपथ पत्र पेश हुआ वास्तु जिरह आगामी पेशी दिनांक 28.02.2018 नियत की गई। दिनांक 28.02.2018 को पत्रावली सुनवाई के लिये नहीं रखी, न ही प्रतिवादी के गवाहों से जिरह की गई। यह कि उक्त पत्रावली दिनांक 18.01.2018 के बाद एकदम दिनांक 19.04.2018 में लोक अदालत केम्प अजनावर में रखी गई और दिनांक 07.06.2018 को निर्णय पारित कर दिया जो कानून सम्मत नहीं है। इसकी जानकारी प्रतिवादीगण को नहीं दी गई। मनमाने ढंग से जो निर्णय पारित किया गया है वह मनमानी करके किया गया है। मौका रिपोर्ट ग्राम बटावदा दिनांक 28.12.2017 हमराह पटवार अजनावर के साथ ग्राम बटावदा पहुंचा। राजस्व रेकार्ड के अनुसार मूल खाता नं. 101 कुल रकबा 58 बीघा 7 बिस्वा जिसमें कमांक 61 पर अपीलांट का उक्त खसरा नं. 101 की 10 बीघा भूमि आवंटित हो चुकी है और बाकी सब नम्बर मिन में तब्दील हो चुके हैं।

उक्त प्रकरण में मुख्य मद्दा मुस्तकील बिन्दु से सारी जमीन की पैमाईश हो तभी सही स्थिति आ सकती है और यह रिमाण्ड द्वारा ही संभव है। दिनांक 07.06. 2018 को दिये गये पैमाईश से संबंधित पैमाईश हमेशा मुस्तकील बिन्दु से की जाती है, लेकिन दिनांक 22.10.2018 को पुलिस बल व राजस्व टीम द्वारा पैमाईश की वह त्रुटिपूर्ण है। इस पर प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर नहीं है, ग्रामवासियों ने उक्त पैमाईश को अवैध माना। यह कि दिनांक 28.12.2017 की रिपोर्ट पेज नं. 2 पर ग्रामवासियों द्वारा बताये अनुसार उक्त भूमि पर वादी रेस्पोडेंट तेजकरण का कब्जा नहीं है। दावा 183 आर.टी.एक्ट का किया निर्णय 188 आर.टी.एक्ट का किया। यह कि कब्जा देवलाल का चला आ रहा है। खसरा गिरदावरी में देवीलाल अपीलांट का कब्जा 8 बीघा 11 बिस्वा पर सरसों और 7 बीघा 9 बिस्वा पर मक्का की फसल खड़ी हुई है। खसरा गिरदावरी में इसका वर्णन है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 सी.पी.सी. एवं धारा 151 सी.पी.सी. के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये

(दीक्षि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई.आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा केम्प पंचायत अजनावर में करते हुए दिनांक 07.06.2018 को निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली की आदेशिका दिनांक 07.06.2018 में यह अंकित है कि वादी व प्रतिवादी स्वयं उपस्थित, परन्तु आदेशिका पर वादी व प्रतिवादी के उपस्थिति के क्रम में हस्ताक्षर अंकित नहीं है जिससे उपस्थिति की पुष्टि नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 07.06.2018 में आगे यह लिखा गया है कि वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी की पैमाईश कराने का निवेदन किया, जिससे प्रतिवादी सहमत है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वादी/रेस्पोडेंट नं. 1 का प्रार्थना पत्र सलंग्न है परन्तु उस पर केवल वादी के हस्ताक्षर है प्रतिवादीगण के नहीं। राजस्व लोक अदालत कैम्प में केवल आपसी समझौते से जिससे दोनों पक्ष सहमत हो प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है अन्यथा समझौते के अभाव में प्रकरण का निस्तारण राजस्व लोक अदालत एवं न्याय की भावना के विपरीत होने से विधिक रूप से स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता।

संदर्भित प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार पत्रावली दिनांक 28.02.2018 को वास्ते जिरह हेतु नियत थी। पत्रावली में दिनांक 28.02.2018 की आदेशिका नहीं लिखी गई। सीधे दिनांक 19.04.2018 की आदेशिका में राजस्व लोक अदालत कैम्प पंचायत अजनावर हेतु पत्रावली दिनांक 07.06.2018 को पेश हो। पक्षकारान को सम्मन जारी किये जाये यह सील लगायी गई है परन्तु पक्षकारान को सम्मन जारी होने की पुष्टि पत्रावली से नहीं होती। उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन के पश्चात् अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2018 राजस्व लोक अदालत एवं न्याय की भावना के विपरीत होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2018 अपास्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्ष को सुनवायी हेतु अवसर प्रदान करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2017 को कायम की गई तनकीयात का विस्तृत रूप से उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर विश्लेषण कर तनकीवार निर्णय पारित किया जाये। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.12.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/10/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा